

06.02.2024

पत्रावली वकील अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र वास्ते मिसल तलबी व जरिये विड्रो खारिज करने पर आज पेश हुई। अपीलांट संख्या एक व तीन की ओर से अधिवक्ता श्री भंवरसिंह रावलोत एवं अपीलांट संख्या दो व चार की ओर से अधिवक्ता श्री रोशनलाल उपस्थित। रेस्पोंडेंट संख्या एक की ओर से अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई उपस्थित। अधिवक्तागण अपीलांट्स ने निवेदन किया कि प्रकरण में आपसी समझाईश से राजीनामा हो गया है। इसलिए अपीलांट्स इस अपील को आगे चलाना नहीं चाहते हैं। अतः निवेदन स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील जरिये विड्रो खारिज की जावे।

जवाब में रेस्पोंडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने अपील जरिये विड्रो खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया।

उभय पक्ष के अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। वकील अपीलांट्स के कथनानुसार मामले में समझाईश हो जाने से अपीलांट द्वारा अपील आगे नहीं चलाये जाने से न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट जरिये विड्रो खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश प्रति सूचनार्थ भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दारिखल दफ्तर हो

राजस्व अपील प्राधिकारी  
जोधपुर